

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
जयपुर, राजस्थान फोन न. 0141-2229693, Email ID:-conuhm.raj@gmail.com

No: F.2 172/ NUHM/HR P(III)/2018/ 511

Dated: 19/07/18

—: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नवीन शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु स्वीकृत चिकित्सा संवर्ग के पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञप्ति क्रमांक 395 दिनांक 22.05.2018 के क्रम में संविदा आधारित शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर पूर्णतया संविदा आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

S.No.	Name of Candidates	Father's/Husband Name	Posting Place	District	Consolidated Honorarium (Rs.)
1	DR. MANISH AGARWAL	SATISH KUMAR AGRWAL	UCHC CHANDRAVARDAI NAGAR	AJMER	1,00,000/-
2	DR. SHOBHIT BHARDWAJ	SUBHASH BHARDWAJ	UCHC SIRSI ROAD, SIRSI	JAIPUR I	1,00,000/-
3	DR. SANJEEV GUPTA	RAMSWAROOP GUPTA	UCHC JAMDOLI	JAIPUR I	1,00,000/-
4	DR. ANSHU MATHUR	HEERA LAL MATHUR	UCHC VATIKA	JAIPUR II	1,00,000/-
5	DR. MANISH KUMAR	CHIMAN LAL	UCHC BHUVANA	UDAIPUR	1,00,000/-

उपरोक्त वर्णित समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 06/07/2018 तक आवंटित पदस्थान स्थान पर आवश्यक रूप से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष अपने समस्त मूल दस्तावेजों एवं इनकी एक फोटोकॉपी सहित अपनी उपस्थिति देते हुए संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।


समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय रूपये 100/- के नॉनज्युडिशियल स्टाम्प पेपर (Blank) चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं मेडिकल प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) सहित अपनी उपस्थिति प्रदान कर संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकारी नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी तथा संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में अन्तिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

उक्त समस्त संविदा कार्मिकों को प्रथमतः तीन माह (प्रोबेशन अवधि) के लिये लिया जावेगा। नव नियुक्त संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को आगामी दिनांक 31.03.2019 तक के लिये बढ़ाया जायेगा। अनुबंधित संविदा कार्मिकों को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ

देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।


इस संबंध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त सूची अनुसार नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के आरएमसी मूल प्रमाण पत्र, अन्य मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र) की जांच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक स्वप्रमाणित प्रति रिकॉर्ड में रखते हुए नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। कार्यग्रहण उपरान्त कार्मिक को उनके संबंधित पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त कर भिजवाए।



(नवीन जैन)
मिशन निदेशक, एनएचएम, एवं
शासन सचिव, चि. एवं स्वा.
विभाग, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चि. एवं स्वा. विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि. एवं स्वा. विभाग एवं अति. मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निदेशक जन स्वास्थ्य, चि. एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक आरसीएच, चि. एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
8. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर राजस्थान।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिले को भेजकर लेख है कि चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व आरएमसी का मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
10. जिला/शहरी कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, संबंधित जिले।
11. प्रभावी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कार्यालय प्रतिलिपि।



(डॉ. आरुषी मलिक)
अति. मिशन निदेशक, एनएचएम, एवं
विशिष्ट शासन सचिव, चि. एवं स्वा.
विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
जयपुर, राजस्थान फोन न. 0141-2229693, Email ID:-conuhm.raj@gmail.com

No: F.2 172/ NUHM/HR P(III)/2018/512

Dated: 19/07/18

—: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नवीन शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु स्वीकृत चिकित्सा संवर्ग के पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञप्ति क्रमांक 395 दिनांक 22.05.2018 के क्रम में संविदा आधारित स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर पूर्णतया संविदा आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

S.No.	Name of Candidates	Father's/Husband Name	Posting Place	District	Consolidate Honorarium (Rs.)
1	DR. MADHU BALA	PAWAN KUMAR	UHC CHANDRAVARDAI NAGAR	AJMER	1,00,000/-
2	DR. RAJESHWARI RANAWAT	GHANSHYAM SINGH	UHC SIRSI ROAD, SIRSI	JAIPUR I	1,00,000/-
3	DR. PALLAVI SHARMA	MAHESH SHARMA	UHC JAMDOLI	JAIPUR I	1,00,000/-
4	DR. SHOBHA JEPH	SUNIL JEPH	UHC VATIKA	JAIPUR II	1,00,000/-
5	DR. SONAL GUPTA	BAKUL GUPTA	UHC BHUVANA	UDAIPUR	1,00,000/-


उपरोक्त वर्णित समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 06/07/2018 तक आवंटित पदस्थान स्थान पर आवश्यक रूप से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष अपने समस्त मूल दस्तावेजों एवं इनकी एक फोटोकॉपी सहित अपनी उपस्थिति देते हुए संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय रूपये 100/- के नॉनज्युडिशियल स्टाम्प पेपर (Blank) चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं मेडिकल प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) सहित अपनी उपस्थिति प्रदान कर संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकारी नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी तथा संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में अन्तिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।


उक्त समस्त संविदा कार्मिकों को प्रथमतः तीन माह (प्रोबेशन अवधि) के लिये लिया जावेगा। नव नियुक्त संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को आगामी दिनांक 31.03.2019 तक के लिये बढ़ाया जायेगा। अनुबंधित संविदा कार्मिकों को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिचालन देय नहीं होगा। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस संबंध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त सूची अनुसार नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के आरएमसी मूल प्रमाण पत्र, अन्य मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र) की जांच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक स्व प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड में रखते हुए नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। कार्यग्रहण उपरान्त कार्मिक को उनके संबंधित पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त कर भिजवाये।


(नवीन जैन)
मिशन निदेशक, एनएचएम, एवं
शासन सचिव, चि. एवं स्वा.
विभाग, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चि. एवं स्वा. विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि. एवं स्वा. विभाग एवं अति. मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निदेशक जन स्वास्थ्य, चि. एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक आरसीएच, चि. एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
8. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर राजस्थान।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिले को भेजकर लेख है कि चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व आरएमसी का मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
10. जिला/शहरी कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, संबंधित जिले।
11. प्रभावी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. कार्यालय प्रतिलिपि।


(डॉ. आरुषी मलिक)
अति. मिशन निदेशक, एनएचएम, एवं
विशिष्ट शासन सचिव, चि. एवं स्वा.
विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
जयपुर, राजस्थान फोन न. 0141-2229693, Email ID:-conuhm.raj@gmail.com

No: F.2 172/ NUHM/HR P(III)/2018/513

Dated: 19/07/18

:- आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नवीन शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु स्वीकृत चिकित्सा संवर्ग के पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञापित क्रमांक 395 दिनांक 22.05.2018 के क्रम में संविदा आधारित फिजिशियन के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर पूर्णतया संविदा आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

S.No.	Name of Candidates	Father's/Husband Name	Posting Place	District	Consolidated Honorarium (Rs.)
1.	DR. PRAVEEN JOSHI	TRILOKI NATH JOSHI	UCHC SIRSI ROAD, SIRSI	JAIPUR I	1,00,000/-
2.	DR. SUNIL SHARMA	PRAHALAD SHARMA	UCHC JAMDOLI	JAIPUR I	1,00,000/-


उपरोक्त वर्णित समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 06/08/2018 तक आवंटित पदस्थान स्थान पर आवश्यक रूप से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष अपने समस्त मूल दस्तावेजों एवं इनकी एक फोटोकॉपी सहित अपनी उपस्थिति देते हुए संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय रुपये 100/- के नॉनज्युडिशियल स्टाम्प पेपर (Blank) चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं मेडिकल प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) सहित अपनी उपस्थिति प्रदान कर संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकारी नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी तथा संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में अन्तिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

उक्त समस्त संविदा कार्मिकों को प्रथमतः तीन माह (प्रोबेशन अवधि) के लिये लिया जावेगा। नव नियुक्त संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को आगामी दिनांक 31.03.2019 तक के लिये बढ़ाया जायेगा। अनुबंधित संविदा कार्मिकों को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिताम देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस संबंध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त सूची अनुसार नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के आरएमसी मूल प्रमाण पत्र, अन्य मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र) की जांच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक स्व प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड में रखते हुए नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। कार्यग्रहण उपरान्त कार्मिक को उनके संबंधित पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त कर भिजवाए।



(नवीन जैन)

मिशन निदेशक, एनएचएम, एवं
शासन सचिव, चि. एवं. स्वा.
विभाग. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चि. एवं स्वा. विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि. एवं स्वा. विभाग एवं अति. मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निदेशक जन स्वास्थ्य, चि. एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक आरसीएच, चि. एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
8. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर, राजस्थान।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिले को भेजकर लेख है कि चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व आरएमसी का मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
10. जिला/शहरी कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, संबंधित जिले।
11. प्रभावी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. कार्यालय प्रतिलिपि।

(डॉ. आरूषी मलिक)

अति. मिशन निदेशक, एनएचएम, एवं
विशिष्ट शासन सचिव, चि. एवं. स्वा.
विभाग. जयपुर